डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्बद्धन/ 3570 /09
दिनांक: 15 / 12 /09

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/निदेशक,
आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज,
अरतौनी, आगरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या सम्ब0-3351/सत्तर-2-2009-2(3)/2009 लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2009 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2007) की धारा 37(2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम/विषयों में सत्र 2008-09 से उक्त पत्र में उल्लिखित चार शर्तों के अधीन 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम मे सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2009 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एंव इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एंव विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व शासनादेश दिनांक 12.07.2005 के अनुसार शिक्षकों से शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

15-12

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

15/12 15/12

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-
1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
2-निजी सचिव कुलपति।
3-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
4-अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रबन्धक
आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
अरतौनी, आगरा-282007

Secretary
Agra Public T. T. College
Artoni;